प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1006 / 2022

अनवान : –

1. सतपाल पुत्र आदराम जाति मेघवाल निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।

– वादी

बनाम्

1. आदराम पुत्र रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
2. सन्तोष पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
3. सुमन पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
4. सुनिता पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 30.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 247 / 219 के खसरा न0 714 की कुल 5.6910 हैक्ट भूमि में से 253 / 5691 हिस्सा व खाता स0 638 / 610 के खसरा न0 479 / 990 की 2.5160 हैक्ट भूमि व 624 की 10.6990 हैक्ट कुल 13.2150 हैक्ट भूमि में से 1 / 8 हिस्सा व रोही मौजा 5 केकेएम तहसील रावतसर के खाता स0 97 / 84 की कुल 2.5420 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अकेले के नाम दर्ज हो गई। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादी स0 1 का का उक्त वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 247 / 219 के खसरा न0 714 की कुल 5.6910 हैक्ट भूमि में से 253 / 5691 हिस्सा व खाता स0 638 / 610 के खसरा न0 479 / 990 की 2.5160 हैक्ट भूमि व 624 की 10.6990 हैक्ट कुल 13.2150 हैक्ट भूमि में से 1 / 8 हिस्सा उपरोक्त दोनों खातो की वाद भूमि पर वादी काबिज है तथा रोही मौजा 5 केएनएन तहसील रावतसर के खाता स0 97 / 84 की कुल 2.5420 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी स0 1 यथा[illegible] है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 [illegible] वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो [illegible] दिन तक आजकल [illegible]कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया।

प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ता 4 की तरफ से जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग द्वारा जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 247/219 के खसरा न0 714 की कुल 5.6910 हैक्ट भूमि में से 253/5691 हिस्सा व खाता स0 638/610 के खसरा न0 479/990 की 2.5160 हैक्ट भूमि व 624 की 10.6990 हैक्ट कुल 13.2150 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 247/219 के खसरा न0 714 की कुल 5.6910 हैक्ट भूमि में से 253/5691 हिस्सा व खाता स0 638/610 के खसरा न0 479/990 की 2.5160 हैक्ट भूमि व 624 की 10.6990 हैक्ट कुल 13.2150 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार [illegible] जाता है तथा रोही मौजा 5 केकेएम तहसील रावतसर के खाता स0 [illegible] भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकम[illegible]न शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:16 IST
Reason: SelfAttested

रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/5/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–सोनड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1006 / 2022
अनवान : –

1. सतपाल पुत्र आदराम जाति मेघवाल निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।

– वादी

बनाम्

1. आदराम पुत्र रामप्रताप जाति मेघवाल निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
2. सन्तोष पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
3. सुमन पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
4. सुनिता पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1006 सन 2022 निर्णय दिनांक 30.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के आपसी राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता स0 247 / 219 के खसरा न0 714 की कुल 5.6910 हैक्ट भूमि में से 253 / 5691 हिस्सा व खाता स0 638 / 610 के खसरा न0 479 / 990 की 2.5160 हैक्ट भूमि व 624 की 10.6990 हैक्ट कुल 13.2150 हैक्ट भूमि में से 1 / 8 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 5 केकेएम तहसील रावतसर के खाता स0 97 / 84 की कुल 2.5420 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:35:16 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–धानसिया